संख्या- 90 **/2025/।/** 923532 **/2025/71-1002(099)/12/2025**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 30 **मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी एवं आगरा से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु मानक मद-39 औषधि एवं रसायन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/684, दिनॉक 19.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी एवं आगरा से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु मानक मद-39 औषधि एवं रसायन मद में कुल रू0 850.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-07- **राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय** के मानक मद-39 औषधि एवं रसायन मद में **रू0 450.00 लाख** तथा लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-02- **सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा** के मानक मद-39 औषधि एवं रसायन मद में **रू0 400.00 लाख**, इस प्रकार कुल **रू0 850.00 लाख (रू0 आठ करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210011101502 सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा **मानक मद** 39 औषधि तथा रसायन (*2*) रुपये 4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210011101507 महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय **मानक मद** 39 औषधि तथा रसायन के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 30-03-2025 14:35:59

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी/आगरा।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झांसी/आगरा।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/आगरा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-002-71-1002-099-12-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरोजनी नायडू सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा आगरा तथा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय झांसी हेतु 39-औषधि तथा रसायन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)	09 (विद्युत देय)	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	85,00,000 रुपये पचासी लाख मात्र	85,00,000 रुपये पचासी लाख मात्र	85,00,000 रुपये पचासी लाख मात्र	7,15,00,000 रुपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	2024-2025
031	2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)	03 (मंहगाई भत्ता)	29,70,00,000 रुपये उनतीस करोड़ सत्तर लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	27,70,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख मात्र	2024-2025
031	2210011101507 (महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	7,78,30,000 रुपये सात करोड़ अठहत्तर लाख तीस हजार मात्र	2,14,85,000 रुपये दो करोड़ चौदह लाख पचासी हजार मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	7,48,30,000 रुपये सात करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार मात्र	2024-2025
031	2210011101507 (महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय)	01 (वेतन)	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	4,15,00,000 रुपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	4,15,00,000 रुपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	4,15,00,000 रुपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	10,85,00,000 रुपये दस करोड़ पचासी लाख मात्र	2024-2025
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध	10 (जलकर / जल प्रभार)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 8,50,00,000	₹ 8,50,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	चिकित्सालय आगरा)							
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	09 (विद्युत देय)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	4,30,00,000 रुपये चार करोड़ तीस लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 8,50,00,000	₹ 8,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101507 (महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय)	39 (औषधि तथा रसायन)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	24,50,00,000 रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	39 (औषधि तथा रसायन)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	24,00,00,000 रुपये चौबीस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 8,50,00,000	₹ 8,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-01-110-15-02-सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 120.00 लाख, लेखाशीर्षक 2210-01-110-15-07-महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय के विभिन्न मानक मदों में रोगियों को नि:शुल्क औषधि तथा 24 घटे पैथोलॉजी लैब के संचालन हेतु कुल रू0 445.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-38-मेडिकल कालेज आगरा के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 285.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 850.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरोजनी नायडू सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा तथा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय झांसी हेतु 39-औषधि तथा रसायन मद में क्रमश रू0 400.00 लाख व 450.00 लाख, अर्थात् कुल रू0 850.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-880-E-3-543-X-2024-25-दिनांक:29-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती) ।

अनु सचिव

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा/झांसी ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।